14

संख्याः– / XIV–1 / 2012–5(11) / 2011

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून, दिनॉक 01 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2012

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–1871 / नियो0 / आई0सी0डी0पी0–रूद्रप्रयाग / 2012–13 दिनांक 07 जुलाई, 2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, रूद्रप्रयाग के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में **₹88,35,000 / –(रूपये अठासी लाख पैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को की जाएगी तथा उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित परियोजना को उपलब्ध करायी जायेगी। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः–

(1) स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मदवार / लक्ष्यवार अद्यतन वित्तीय भौतिक प्रगति से शासन को त्रैमासिक रूप से अवगत कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी ऋणो की प्रतिपूर्ति हो जाए और उसे कोषागार के सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया जाए।

(3) स्वीकृत अंशपूजी, ऋण एवं अनुदान की धनराशि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मूल रूप में स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तो / मदों / लक्ष्यों के अनुसार व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि, निगम की परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय समय पर निर्गत शर्तो के अनुरूप नियंत्रित होगी।

(5) इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितिया, उत्तराखण्ड की होगी।

(6) आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं इसकी सूचना यथासमय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराना होगा और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि के उपयोग की कार्यवाही की जानी होगी।

(7) पैरा–1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नही लाई जायेगी। परियोजना का नियमानुसार लेखा परीक्षण, मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा भी किया जा सकता है।

2. इस शासनादेश के प्रस्तर–1 में निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें।

3. उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक में सहकारिता विभाग के सम्बन्धित अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षकों के नामें डाला जायेगा:–

अनुदान सं0–18 (धनराशि हजार रू0 में)

लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि
2425–सहकारिता–आयोजनागत 00– 800–अन्य व्यय 04–एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	25000	2318
4425– सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत 00– 200–अन्य निवेश 03–समितियों की अंशपूंजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) 00– 30–निवेश/ऋण	25000	4145
6425–सहकारिता के लिए कर्ज–आयोजनागत 00– 800–अन्य कर्ज 04–एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00– 30–निवेश/ऋण	20000	2372
योग–	**70000**	**8835**

ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–101(P)/XXVII–4/2012 दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव।

संख्याः–1695(1)/XIV–1/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया,हौज खास, नई दिल्ली को अवमुक्त धनराशि की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति किए जाने सम्बन्धी अनुरोध के साथ प्रेषित।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी/जिला सहायक निबन्धक, रूद्रप्रयाग।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव।